कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर, दिनांक 30–4–2021

क्रमांक / 2264 / री.ए.डी.एम / 2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

वर्तमान में दिनांक 20.04.2021 को जारी आदेश क्रमांक 2096–2097 / री.ए.डी.एम. / 2021 के तहत् जनता कर्फ्यू दिनांक 30.04.2021 तक प्रभावशील है। नगर निगम, इन्दौर सीमा क्षेत्र में यह जनता कर्फ्यू वर्तमान में प्रतिबंधित प्रतिबंधों के साथ **दिनांक 07 मई 2021 तक के लिये प्रभावशील करते हुए लागू किया जाता है**। उक्त आदेश में वर्णित सभी प्रतिबंध दिनांक 07 मई 2021 तक प्रभावशील रहेगे।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नगर निगम, इन्दौर सीमा क्षेत्र को छोड़कर जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र, कंटोनमेंट क्षेत्र हेतु पृथक से जनता कर्फ्यू आदेश जारी किया जा चुका है, जो दिनांक 07 मई 2021 तक लागू है। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, पुलिस, स्थानीय निकाय सम्पूर्ण जिले में जारी आदेशों के तहत जनता कर्फ्यू को सख्ती से सुनिश्चित करायेगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक़ हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।

यह आदेश **दिनांक 30 / 4 / 2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 2265 / री0ए0डी0एम0 / 2021 इन्दौर, दिनांक 30–4–2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, झोन –1–2–3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.